

अनुदान संख्या 43 – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
GRANT No. 43 - DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	3374,65,00	3424,67,00	1860,98,08	-1563,68,92
पूरक	Supplementary	50,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1490,61,92

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹156368.92 लाख) नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹5002.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 46 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (₹156368.92 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹5002.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and constituted 46 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ : —

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services				
मू.	O.	3800.00	3235.31	3235.26	-0.05
पु.	R.	-564.69			

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	323365.00			
पू.	S.	5001.00	190168.77	182862.82	-7305.95
पु.	R.	-138197.23			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10300.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-10300.00			

(I) ₹157766.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹156865.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹157766.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹156865.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - आरक्षित निधियों/जमालेखों को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां" - ₹147465.00 लाख - वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रावधान का अंतरण राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) में किए जाने के कारण।

(A) Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for transfer to National Investment Fund" - ₹147465.00 lakhs - due to transfer of provision from National Investment Fund (NIF) to Gross Budgetary Support (GBS) as per decision taken at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) मुख्य शीर्ष "2252" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - एलोपैथी" - के अंतर्गत - निम्नलिखित शीर्षों के तहत :-

(B) Major Head "2552" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy" - under the following heads:-

(क) "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" - ₹8000.00 लाख;

(a) "Indian Council of Medical Research, New Delhi" - ₹ 8000.00 lakhs ;

(ख) “प्राकृतिक आपदा प्रबंधन” – ₹800.00 लाख; और

(b) “Management of Natural Calamities” - ₹800.00 lakhs; and

(ग) “स्वास्थ्य अनुसंधान का संवर्धन, समन्वय और विकास” – ₹600.00 लाख।

(c) “Promotion, co-ordination and development of Health Research” - ₹600.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग” के अंतर्गत – ₹564.74 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने कोविड-19 महामारी के कारण कम सम्मेलन और यात्रा किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat-Department of Health Research” - saving of ₹564.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to non filling up of vacant regular and contractual posts, less conferences and travel owing to COVID-19 Pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष “2210” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(III) Under Major Head “2210” - savings occurred under the following heads:

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अन्य व्यय – चिकित्सा, जैव-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में समन्वय” – ₹800.00 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) “Urban Health Services - Allopathy - Other Expenditure - Co-ordination in Medical, Biomedical and Health”- saving of ₹800.00 lakhs (against the sanctioned provisions of ₹2400.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for funding research projects.

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – भोपाल मैमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल” – ₹1021.91 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और उपकरणों तथा पूंजीगत कार्य की अधिप्राप्ति के लिए अनुमोदन में विलंब होने की वजह से अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(B) “Medical Education, Training and Research- Allopathy - Bhopal Memorial Hospital & Research Centre, Bhopal” - saving of ₹1021.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs) was due to non-release of grants owing to non-filling up of vacant posts and delay in approval for procurement of equipments and capital work.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाए जाने के लिए आंशिक रूप से (₹11563.64 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “2210” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹5002.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय

2. The above savings were partly utilised (₹11563.64 lakhs) for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹5002.00 lakhs

संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

under Major Head "2210" - under the following heads:-

(का) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - एलोपैथी" -

(A) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(क) "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" - ₹10756.90 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय, ₹3452.02 लाख था।

(a) "Indian Council of Medical Research, New Delhi" - ₹10756.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹3452.02 lakhs.

(ख) "राज्यों में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिट" - ₹349.99 लाख।

(b) "Model Rural Health Research Units in the States" - ₹349.99 lakhs.

(खा) "सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - संगठन/भारत तथा विदेशों में सम्मेलनों में भागीदारी" - ₹456.75 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹456.73 लाख था।

(B) "General - International Co-operation - Organisation/Participation to conferences in India and Abroad" - ₹456.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹456.73 lakhs.